न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / रसद / 25 / 2018

योगेन्द्रसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत गहलऊ तहसील रूपवास जिला भरतपुर ।

......अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.......रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 09.07.2018 प्रकरण सं0 49 / 2017 उनवानी सरकार बनाम योगेन्द्रसिंह उ0मू0दुकानदार गहलऊ अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 19.01.2021**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 09.07.2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त करते हुए जमाशुदा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है। बहस हेतु अपीलान्ट व उनके अभिभाषक को बार बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आये । अतः इनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाती है । पैरोकार रसद की एक पक्षीय बहस सुनी गई ।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि "न्याय आपके द्वार" शिविर के दौरान दिनांक 20.05.2017 को उपखण्ड अधिकारी रूपवास तथा सरपंच ग्राम पंचायत गहलऊ एवं उपभोक्ताओं की मौजूदगी में मौके पर जाकर अपीलान्ट की दुकान की जांच की गई । मौके पर उपभोक्तओं तथा ग्राम पंचायत के सरपंच ने डीलर द्वारा धोखे से अंगूठा लगवाकर [illegible] करना तथा वास्तविक राशन सामग्री को उपभोक्ताओं को नहीं देन[illegible] । दौराने जांच पाया गया कि प्रकरण में बड़ी संख्या में उपभोक्ता[illegible] अंगूठा लगाकर पोस मशीन तथा स्टॉक वितरण रजिस्टर में [illegible] दर्शाया गया है, परन्तु दुकान

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:06:36 IST
Reason: SelfAttested

.......2

के भौतिक सत्यापन पर 28.80 क्विण्टल गेंहूँ तथा 1360 लीटर कैरोसिन वांछित स्टॉक से अधिक पाया गया । उक्त वांछित से अधिक पायी गई गेंहूँ व केरोसिन की मात्रा एक सामग्री के साथ दूसरी राशन सामग्री का भी धोखे से वितरण दर्शा कर कालाबाजारी हेतु बचाई गई है । यह सामग्री अपीलान्ट डीलर द्वारा उपभोक्ताओं द्वारा अंगूठा लगा कर भी कई माह तक राशन नहीं ले जाने के कारण अधिक होना बताया गया है । पैरोकार रसद ने यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा अपने जबाव की पुष्टि में 64 शपथ पत्र प्रस्तुत किये गए हैं। ये शपथ पत्र स्वयं अपीलान्ट द्वारा ही पेश किये गए हैं, इन सभी शपथ पत्रों की भाषा एक जैसी है । डीलर द्वारा इन शपथ पत्रों को प्रस्तुत किया जाना उसकी पश्चातवर्ती सोच का परिणाम हो सकता है । शपथ पत्र प्रस्तुत करने से डीलर की राशन सामग्री के दुर्पयोग व कालाबाजारी किये जाने की मंशा को इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार डीलर के पास 28.80 क्विण्टल गेंहूँ व 1360 लीटर कैरोसिन अधिक पाया गया है, जो डीलर की कालाबाजारी व वितरण में अनियमितता को स्पष्ट रूप से जाहिर करता है। पैराकार रसद द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की गई है।

हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका,जब्ती एवं सुपुर्दगी के अनुसार दुकान के भौतिक सत्यापन पर गेंहूँ 122 क्विण्टल, कैरोसिन 1360 लीटर व चीनी का स्टॉक शून्य पाया गया जबकि डीलर के रिकार्ड के अनुसार गेंहूँ 93.20 क्विण्टल, कैरोसिन शून्य एवं लेवी चीनी 883.5 कि0ग्रा0 होनी चाहिए थी । चीनी की बावत डीलर द्वारा थोक विक्रेता से चीनी प्राप्त नहीं होना बताया गया । अधिक मात्रा में पाये गए 28.80 क्विण्टल गेंहूँ व 1360 लीटर के सम्बन्ध में डीलर द्वारा कोई सन्तोष जनक जबाव नहीं दिया गया । वक्त जांच मौके पर बनाई गई फर्द पर डीलर के हस्ताक्षर होना भी उसकी राशन वितरण में लगाये गए आरोपों की स्वीकारोक्ति को जाहिर करता है । स्पष्ट है कि वक्त जांच डीलर के पास अधिक मात्रा में पाये गये गेंहूँ, व कैरोसिन कालाबाजारी के उद्देश्य से उसके द्वारा गरीव उपभोक्ताओं को कम वितरण कर बचाई गई सामग्री प्रतीत होती है। राज्य सरकार द्वारा सार्व जनिक वितरण प्रणाली में लीकेज को रोकने के लिए पोस मशीन को लागू करने के पश्चात भी पोस मशीन पर बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन होने के बाद भी 28.80 क्विण्टल गेंहूँ व 1360 लीटर कैरोसिन अधिक [illegible] गया है। अपीलान्ट का उक्त कृत्य यह दर्शाता है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा उपभोक्ताओं के वितरण में नियंत्रित वस्तुओं का जानबूझ कर दुरुपयोग किया गया जिसके लिए वह दोषी है। इस प्रकार अपीलान्ट डीलर किसी प्रकार की रिलीफ पाने का हकदार नहीं रहता है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य [illegible] हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:06:36 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली जिला रसद अधिकारी भरतपुर को वापिस लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:06:36 IST
Reason: SelfAttested